

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग,
मुख्यालय अनुश्रवण

संचिका संख्या:- ल0सिं0मो0-अनियमितता-199/2020-1542 (मौ) /पटना,दिनांक:-06/8/2020

प्रेषक,

ई0 रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियंता,
मुख्यालय अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
लघु सिंचाई प्रमंडल, नालंदा।

विषय:- जल-जीवन-हरियाली अभियान अन्तर्गत नालंदा जिले के परवलपुर प्रखंड के अलावा पंचायत में चल रहे आहर पर्ईन जीर्णोद्धार कार्य में अनियमितता बरते जाने के संबंध में।

प्रसंग- राजेश कुमार शर्मा, ग्रम+पो0-सिनावां, प्रखंड-परवलपुर, जिला-नालंदा द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र।


महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में राजेश कुमार शर्मा, ग्रम+पो0-सिनावां, प्रखंड-परवलपुर, जिला-नालंदा द्वारा सूचित किया गया है कि विषयांकित कार्य में लापरवाही बरती जा रही है। प्राप्त आवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि प्राक्कलन के अनुरूप कार्य का गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

यह भी निदेश दिया जाता है कि उक्त मामले में जिला प्रशासन से सहायोग लेते हुए अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने संबंधी नियमानुकूल कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन


अधीक्षण अभियंता (मु0)
अनुश्रवण

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक- 1542 (मौ)

/पटना, दिनांक- 06/8/2020

प्रतिलिपि:- संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, पटना/मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/जिला पदाधिकारी, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अधीक्षण अभियंता (मु0)
अनुश्रवण

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक- 1542 (मौ)

/पटना, दिनांक- 06/8/2020

प्रतिलिपि- राजेश कुमार शर्मा, ग्रम+पो0-सिनावां, प्रखंड-परवलपुर, जिला-नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित।


अधीक्षण अभियंता (मु0)
अनुश्रवण

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

